



न्यायालय: अपर सेशन न्यायाधीश, दौसा , जिला दौसा (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश : रविकान्त सोनी, UID No.RJ00755
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या: 02/2020 (बी.टी. नं. 03/2020)

CNR No.RJDS010000192020

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

बनाम

1. मनीष पुत्र ओमप्रकाश उम्र 27 साल निवासी हल्दीनियों की ढाणी (लक्ष्मीपुरा) दयारामपुरा पुलिस थाना कानोता जिला दौसा
2. रमेश पुत्र रामनाथ उम्र 25 साल निवासी दयारामपुरा थाना कानोता जिला दौसा
3. रामबाबू पुत्र हरिनारायण उम्र 27 साल निवासी हल्दीनियों की ढाणी तन दयारामपुरा थाना कानोता जिला जयपुर(मफरूर दिनांक 5.5.2025)
4. कृष्ण उर्फ काला पुत्र बाबूलाल उम्र 18 साल निवासी दयारामपुरा थाना कानोता जिला दौसा
5. विजय उर्फ टेकू पुत्र गोपाल निवासी कालूराम की गली व्यास मोहल्ला, दौसा थाना कोतवाली दौसा अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 325/149 व 459 भा.दं.सं.

उपस्थित:-

- 1- श्री आशीष शर्मा, अपर लोक अभियोजक-राजस्थान राज्य ओर से
- 2- श्री इनायत हुसैन विद्वान अधिवक्ता- अभियुक्तगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 06.08.2025

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना सदर, दौसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 292/2019 धारा 147, 148, 149, 458 भा.दं.सं. के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीबद्ध की गई। तत्पश्चात्, आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त मनीष शर्मा, रमेश शर्मा, रामबाबू शर्मा व कृष्ण मीना के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 325, 459 भा.दं.सं. के अपराधों के आरोप प्रमाणित पाये जाने तथा अभियुक्त विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध धारा 173(8)दं.प्र.सं.में अनुसन्धान लंबित रखते हुये अभियोग पत्र दिनांक 04.01.2020 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रकरण सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, अतः उक्त न्यायालय द्वारा इसे विचारणार्थ माननीय सत्र न्यायालय, दौसा को समर्पित किया गया, जहां से यह प्रकरण इस न्यायालय को दिनांक 16.01.2020 को विचारार्थ प्राप्त हुआ तथा प्रकरण में बाद अनुसन्धान अभियुक्त विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 325 व 459 भा.दं.सं. के अपराधों के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 12.05.2022 को तितम्बा आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा के समक्ष पेश किया गया



जिसे श्रीमान सेशन न्यायालय दौसा को कमिट किया गया जो श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा दिनांक 29-07-2022 को इस न्यायालय सुनवाई हेतु विधिवत अन्तरित होकर प्राप्त हुआ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि फरियादी उम्मेद ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सदर में दिनांक 19-8-2019 को इस आशय की दर्ज करायी कि वह झालराका बास का रहने वाला है। वह वर्तमान में गेटोला के पास नागल गुगोलाव रोड पर मकान बनाकर परिवार सहित रहता है। उसके व गोपाल मीणा के बीच जमीन सम्बन्धी विवाद चल रहा है। दिनांक 18-08-19 को हम खाना खाकर वह अपने घर में सो गये थे वह पशु के पास सो रहा था समय करीब 8.45 बजे सांय को एक कार में आये 5-6 लोगों ने चादर ओढ कर सो रहे पिताजी पर लाठी-डंडे व कुल्हाडी से हमला कर दिया। पिताजी के चिल्लाने पर वह और उसकी पत्नी दौडकर पिताजी को बचाने पहुँचे तो उन्होंने उसके व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। उसके अन्य घरवाले दौडकर आये तो उन्हें देखकर मारपीट करने वाले दौडकर कार में बैठकर भाग गये। मारपीट करने वालों में विजय उर्फ टेकू को वह पहचानता है। दो को वह सामने आने पर पहचान लेगा। उन्होने मुँह बांध रखा था। उसके पिताजी को इलाज के लिये जयपुर रैफर कर दिया गया, जिसका इलाज जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल में चल रहा है... आदि इस रिपोर्ट पर उपरोक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसन्धान आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. विचारण की स्थिति में, अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 323/149, 325/149 व 459 भा.दं.सं. के अंतर्गत पृथक-पृथक आरोप विरचित कर सुनाए गए, जिन्हें अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अभियोजन पक्ष से साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा दोषसिद्धि हेतु अपने पक्ष में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए—

5. **अभियोजन साक्ष्य तालिका: मौखिक साक्ष्य:**

क्रमांक	विवरण
पी.डब्ल्यू. -1	सुशीला
पी.डब्ल्यू. -2	शिवानी
पी.डब्ल्यू. -3	उम्मेद
पी.डब्ल्यू. -4	बाबूलाल
पी.डब्ल्यू. -5	रामजीलाल
पी.डब्ल्यू. -6	मनभर
पी.डब्ल्यू. -7	धीरेन्द्र प्रसाद सिंह
पी.डब्ल्यू. -8	नरसीराम
पी.डब्ल्यू. -9	मंगलराम
पी.डब्ल्यू. -10	डॉ० जयप्रकाश गुप्ता
पी.डब्ल्यू. -11	अमित कुमार



क्रमांक	विवरण
पी.डब्ल्यू-12	रामावतार
पी.डब्ल्यू-13	अरिवन्द कुमार
पी.डब्ल्यू-14	सोनल मीणा
पी.डब्ल्यू-15	साहब सिंह
पी.डब्ल्यू-16	बाबूलाल
पी.डब्ल्यू-17	सोनू बडसरा
पी.डब्ल्यू-18	डॉ० शिवचरण मीणा
पी.डब्ल्यू-19	देवेन्द्र सिंह
पी.डब्ल्यू-20	रवीन्द्र कुमार
पी.डब्ल्यू-21	रामकरण
पी.डब्ल्यू-22	विजय कुमार
पी.डब्ल्यू-23	प्रभात कुमार
पी.डब्ल्यू-24	विपिन्द्र खत्री

दस्तावेजी साक्ष्य-अभियोजन:

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी-1	चोट प्रतिवेदन सुशीला देवी
प्रदर्श पी-2	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी-3	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी-4	नक्शा मौका
प्रदर्श पी-5	चोट प्रतिवेदन उम्मेद सिंह
प्रदर्श पी-6	फर्द जप्ती खून आलूदा सीमेंट
प्रदर्श पी-7	पुलिस बयान रामावतार
प्रदर्श पी-8	पुलिस बयान नरसी मीना
प्रदर्श पी-9	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त मनीष शर्मा
प्रदर्श पी-10	फर्द निशादेही मौका घटना स्थल जहां मारपीट की योजना बनाई द्वारा अभियुक्त मनीष शर्मा
प्रदर्श पी-11	फर्द निशादेही नक्शा मौका घटना स्थल मारपीट करने अभियुक्त मनीष शर्मा
प्रदर्श पी-12	फर्द बरामदगी स्विफ्ट डिजायर कार नम्बर RJ-14-CX-4057
प्रदर्श पी-13	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल कार
प्रदर्श पी-14	फर्द बरामदगी एक मोबाइल रेडमी निशादेही मुलजिम मनीष



प्रदर्श पी-15	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल मोबाइल रेडमी
प्रदर्श पी-16	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रमेश
प्रदर्श पी-17	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामबाबू
प्रदर्श पी-18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कृष्णा उर्फ काला मीणा
प्रदर्श पी-19	फर्द बरामदगी तीन लाठी(डंडेनुमा)
प्रदर्श पी-20	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
प्रदर्श पी-21	फर्द बरामदगी मोबाइल नं.6377147784 मय हैंडसेट रिअलमी कम्पनी निशादेही मुलजिम कृष्ण कुमार उर्फ काला मीना
प्रदर्श पी-22	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मोबाइल
प्रदर्श पी-23	फर्द बरामदगी मोबाइल नं. 9784292012 मय एम आई हैंडसेट
प्रदर्श पी-24	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मोबाइल एम आई
प्रदर्श पी-25	निशादेही नक्शा मौका जहां मुलजिमान द्वारा मारपीट करने की योजना बनाई गई।
प्रदर्श पी-26	फर्द निशादेही मौका घटना स्थल मारपीट निशादेही मुलजिम रमेश, रामबाबू, कृष्ण उर्फ काला
प्रदर्श पी-27	निशादेही मौका घटना स्थल मारपीट करने निशादेही मुलजिम विजय उर्फ टेकू
प्रदर्श पी-28	फर्द निशादेही मौका जहां पर मुलजिमान द्वारा मारपीट करने की योजना बनाई निशादेही मुलजिम विजय उर्फ टेकू
प्रदर्श पी-29 लगायत प्रदर्श पी-32	शिनाख्तगी कार्यवाही अभियुक्तगण
प्रदर्श पी-33	कार्यालय तहसीलदार, दौसा द्वारा जारी गवाह उम्मेदसिंह को जारी सम्मन
प्रदर्श पी-34	कार्यालय तहसीलदार, दौसा द्वारा पेश शिनाख्तगी रिपोर्ट
प्रदर्श पी-35	चोट प्रतिवेदन जगदीश
प्रदर्श पी-36	एक्सरे रिपोर्ट जगदीश
प्रदर्श पी-37	कार्यालय निदेशक , राज्य विधि विज्ञान, प्रयोगशाला, राजस्थान , जयपुर की प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी-38 लगायत प्रदर्श पी-41	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त मनीष शर्मा
प्रदर्श पी-42 व प्रदर्श पी-43	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम



	द्वारा अभियुक्त रमेश शर्मा
प्रदर्श पी-44 लगायत प्रदर्श-46	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त कृष्ण उर्फ काला
प्रदर्श पी-47 लगायत प्रदर्श पी-49	फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त रामबाबू
प्रदर्श पी-50	नोटिस धारा 133 एम.वी.एक्ट
प्रदर्श पी-51	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम कृष्ण मीना
प्रदर्श पी-52	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम रमेश
प्रदर्श पी-53	शिनाख्तगी कार्यवाही मुलजिम रामबाबू
प्रदर्श पी-54	मालखाना रजिस्टर
प्रदर्श पी-55 लगायत प्रदर्श पी-60	धारा 65 बी का प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज
प्रदर्श पी-61 लगायत प्रदर्श पी-66	कॉल डिटेल् रिकार्ड
प्रदर्श- पी-67	रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमि.द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.11.2019
प्रदर्श पी-68	धारा 65B(4)(c)Evidence Act का प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी-69 लगायत प्रदर्श पी-71	ग्राहक आवेदन पत्र
प्रदर्श पी-72 लगायत प्रदर्श पी-73	सीडीआर मोबाइल नम्बर 6377147784
प्रदर्श पी-74	सीडीआर नम्बर 8209907626
प्रदर्श पी-75 व प्रदर्श पी-76	सीडीआर नम्बर 894906851

6. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात, अभियुक्तगण के कथन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन लिए गए, जिनमें अभियुक्तगण ने समस्त अभियोजन साक्ष्य को असत्य बताते हुए प्रकरण को पूर्णतः झूठा करार दिया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी पक्ष पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. प्रकरण में अभियुक्त रामबाबू पुत्र हरिनारायण को न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने पर दिनांक 5-5-2025 को मफरूर घोषित किया गया तथा उसे स्थायी गिरफ्तारी वारंट से तलब किया गया।

8. इसके पश्चात अभियोजन तथा बचाव पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई तथा सम्पूर्ण न्यायिक पत्रावली का सूक्ष्म परीक्षण कर गहन विचार किया गया।

9. अंतिम बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अभियोजन का अभिमत था कि प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने हेतु संदेह से परे प्रमाणित करते हैं, अतः उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 323/149, 325/149 व 459 भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।



10. इसके विपरीत, अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास विद्यमान हैं। प्रकरण में फर्द जप्ती की सन्देह से परे साबित नहीं हुयी है। अभियुक्तगण के शिनाख्तागी के सम्बन्ध में भी गवाहों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हैं। पूर्व रंजिश होने के कारण अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। गवाहों के बयानों में भी घटना को लेकर महत्वपूर्ण विरोधाभास पाए जाते हैं। अतः अभियोजन साक्ष्य आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे हैं एवं अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

11. पक्षकारों के तर्कों एवं पत्रावली के समग्र परीक्षण के उपरांत इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं:—

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 18.08.2019 को ग्राम नांगल गुगोलाव के पास समय रात्रि 8.45 के लगभग सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि-विरुद्ध जमाव (Unlawful Assembly) का गठन किया, तथा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य के तहत बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए फरियादी व उसके परिजनों के साथ मारपीट करना था ?

(2) क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में फरियादी उम्मेदसिंह, जगदीश, सुशीला देवी- के साथ लाठी-डंडों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई, तथा फरियादी के पिता जगदीश के साथ कुन्दालय लाठी, सरिया से मारपीट कर बांये हाथ की कोहिनी के उपर की मेटाकार्पल बोन का अस्थिभंग कारित किया तथा क्या फरियादी उम्मेद सिंह के रिहायशी मकान में प्रच्छन्न गृह अतिचार करते समय फरियादी के पिता जगदीश सिंह को घोर उपहति कारित की ? और

(3) इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा धारा 147, 148, 323/149, 325/149, 459 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया गया?

(4) यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो अभियुक्तगण को परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के अनुपात में किस प्रकार का दण्ड उपयुक्त होगा?

12. उपर्युक्त बिंदुओं पर अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, उनमें गवाह पी.डब्ल्यू.3 उम्मेद जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज करवायी गई है ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि बयान की दिनांक से दो साल पूर्व रात को नौ बजे की बात है हम लोग घर में सो रहे थे एवं पिताजी बाहर बरामदे में सो रहे थे। एक टेकू टेकू नाम का था एवं तीन चार लोग और थे। उन्होंने आते ही उसके पिताजी के साथ सरिये, कुल्हाडी से मारपीट की हम बाहर निकले तो उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट उससे, उसकी पत्नी, एवं पिताजी के साथ की थी। फिर उसके बच्चे ने बाबूलाल को फोन किया तो परिवार के लोगों के आने से पहले ही वो लोग भाग गये। फिर हमें अस्पताल लेकर चले गये। उसने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो प्रदर्श पी02 है। चाक एफ०आई०आर० प्रदर्श पी03 है। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी04 है। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जो प्रदर्श पी05 है। घटना स्थल से पुलिस न खून आलूदा सीमेंट की पपडी व खून में सनी मिट्टी पुलिस ने वजह सबूत जब्त की थी, जो प्रदर्श पी-6 है।



13. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मारपीट करने वाले लोगों ने मुँह पर कपड़ा बांध रखा था, केवल टेकू को देखा था। बाकी लोगों को गिरफ्तार होने के बाद थाने में देखा था।

14. इस गवाह ने विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध तितम्बा चार्जशीट पेश होने पर अपने पूर्ववर्ती कथनों को दोहराया तथा जिरह में यह कथन किया कि विजय उर्फ टेकू के अलावा सबने मुँह पर कपड़ा बांध रखा था। मुलजिमान ने उनके साथ झगडा किया था इसलिये मुकदमा दर्ज कराया था। झगडे के समय अंधेरा था लेकिन उनके घर पर लड्डू जल रहा था। साक्षी ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि घटना के समय विजय उर्फ टेकू अस्पताल में भर्ती हो।

15. गवाह पी.डब्ल्यू.1 सुशीला जिसे अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी व आहत साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि बयान की दिनांक से करीब दो साल पूर्व की बात है। रात को नौ-पौने नौ बजे की बात है। उनके घर पर मनीष आदि चार पांच लोग आये एवं उसके ससुर जो कि सो रहे थे उनके साथ सरिये लाठीयों से मारपीट करने लग गये। उसके ससुर चिल्लाये तो वे भागकर वहां आये। जब वह अपने ससुर का बचाने आयी तो उसके भी कूल्हे के पीछे मारी। उसका पति आया तो उसके साथ भी मारपीट की। उसके ससुर, उसे एवं उसके पति को दौसा अस्पताल ले आये। उसके ससुर के ज्यादा चोट होने के कारण उनको जयपुर रैफर कर दिया। मुलजिमान ने हमारी जमीन छीनी थी जिसके कारण उन्होंने उनके साथ मारपीट की थी। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था जो प्रदर्श पी01 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

16. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसने किसी को नहीं देखा, वो लोग जब आये तब भी उन्होंने मुँह बांध रखा था उसने तो मनीष का नाम केवल सुना है उसे मनीष का नाम बाबूलाल काका ने बताया था। मैंने मारपीट करने वाले किसी को भी नहीं देखा था जब वह आयी तो वो लोग भाग गये।

17. इस गवाह ने अभियुक्त विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध तितम्बा चार्जशीट पेश होने पर लेखबद्ध हुये बयानों में पूर्व में लेखबद्ध बयानों की मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा के कथनों को ही दोहराया है।

18. पी.डब्ल्यू.2 शिवानी जिसे भी अभियोजन की ओर से प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है ने न्यायालय बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.08.2019 को रात को नौ सवा नौ बजे हम खाना खाकर सो रहे थे। उसके दादाजी बरामदे के बाहर सो रहे थे। उनके घर पर मनीष, विजय, कृष्ण व रामबाबू गाडी, मोटर साईकिल लेकर आये व उसके दादा के साथ लाठी, डण्डे, कुल्हाडी, सरियों से मारपीट की। हमने जब दादाजी की आवाज सुनी तो वह, उसके पापा, उसकी मम्मी व भाई भागकर वहां आये तो उन्होंने दादाजी के साथ साथ उनके साथ भी मारपीट की। उसके दादाजी के कंधे पर, पैर में चोटें आयी एवं दादाजी का हाथ तीन जगह से फेक्चर हो गया। जब हम चिल्लाये तो वो लोग भाग गये एवं उनमें से एक की चप्पल रह गयी थी।



19. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि जो लोग मारपीट करने आये उनमें से एक का मुँह खुला था बाकी के मुँह पर कपडा था। उसने किसी का चेहरा नहीं देखा। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी-1 में किसी का नाम नहीं बताया।

20. गवाह पी.डब्ल्यू.2 शिवानी ने अभियुक्त विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध पेश तितम्बा चार्जशीट पेश होने पर उसकी हद तक लेखबद्ध बयानों में अपने पूर्ववर्ती बयानों की मुख्य परीक्षा को ही दोहराया है तथा जिरह में यह कथन किया है कि मुलजिमान में से एक ने मुँह पर कपडा बांधा हुआ नहीं था। प्रदर्श डी-1 में उसने पुलिस को मुलजिमान के नाम बताये थे लेकिन पुलिस ने क्यों नहीं लिखा वह नहीं बता सकती। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव से अनभिज्ञता व्यक्त की है कि उसे यह बात पता नहीं कि वरवक्त मुलजिम अस्पताल में भर्ती हो।

21. पी.डब्ल्यू.4 बाबूलाल ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.08.2019 की बात है। रात को नौ साढ़े नौ बजे उसके पास शिवानी का फोन आया कि आठ दस लोग घर पर आ गये हैं जिन्होंने दादा का हाथ, पैर तोड़ दिये, उम्मेद व उसकी घरवाली के हाथ पैर तोड़ दिये, उम्मेद की घरवाली, एवं बच्चों के साथ सरियों से मारपीट की। हम मौके पर गये तो मुलजिमान मौके से भाग गये थे। मौके पर पड़ोसी इकट्ठे हो गये थे। उसके भाई को एवं अन्य लोगों को दौसा अस्पताल में भर्ती कराया था। उसके भाई जगदीश के ज्यादा चोट आने के कारण उसको जयपुर रैफर किया था। पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 बनाया तथा पुलिस ने उसके सामने फर्द जसि चप्पल प्रदर्श पी-6 बनाई।

22. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि घटना के दस मिनट बाद वह मौके पर पहुँच गया था। उसने जाकर अपने भाईयों को संभाला था। जब्तशुदा चप्पल किस व्यक्ति की थी उसे पता नहीं, किन्तु मुलजिमान में से किसी की थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि किस मुलजिम ने कौनसे चप्पल जूते पहन रखे थे उसकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वह मौके पर नहीं था।

23. पी.डब्ल्यू.4 बाबूलाल ने विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध तितम्बा चार्जशीट पेश होने पर अभियुक्त विजय उर्फ टेकू की हद तक लेखबद्ध बयान में कथन किया है कि वह दसवीं फेल है। वे तीन भाई हैं। वह, रामजीलाल और जगदीश भाई हैं। उनकी खातेदारी जमीन के खसरा नम्बर 2490, 2491, 2492 और 2500 से 2507 है, जो गेटोलाव में है। दिनांक 18.08.2019 की बात है, उस दिन उसके पास रात को 9.30 बजे शिवानी ने फोन कर बताया कि दादा, पापा और मम्मी के कुल्हाडी से हाथ, पैर मनीष शर्मा, विजय उर्फ टेकू, कृष्ण मीना व रमेश शर्मा आदि लोगों ने हमला कर तोड़ दिए हैं। जब वह वहाँ पर गया तो वे लोग भाग गये थे। उसने अपने भाई जगदीश को अस्पताल पहुंचाया व पुलिस को फोन किया। जगदीश की हालात गंभीर होने के कारण जयपुर रैफर कर दिया। पुलिस मौके पर गयी थी, लेकिन वे अस्पताल आ गये थे। ये लोग जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके कारण इन्होंने उसके भाई व उसके परिवारजन के



साथ मारपीट की। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 04 है पुलिस ने उसके सामने मुल्जिमान की चप्पल व खून आलूदा सीमेंट की पपडी वजह सबूत जब्त की थी जिसकी फर्द प्रदर्श पी 06 है।

24. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि वह घटना स्थल पर एक-डेढ घंटे बाद पहुँचा था। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि जो सामान जब्त किया गया था जो किस-किस का था उसे पता नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से अनभिज्ञता जाहिर की है कि विजय उर्फ टेकू का दिनांक 7-8-2019 को एक्सीडेंट हो गया हो और वह चलने-फिरने की स्थिति में नहीं हो यह उसे पता नहीं। वह झगडे में आया था यह बात उसे भतीजे ने बताई ।

25. पी.डब्ल्यू.5 रामजीलाल व पी.डब्ल्यू.6 मनभर, अपने दामाद गोविन्द सहाय की उपस्थिति के सम्बन्ध में कथन करते हैं जोकि इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। इस कारण इस गवाह की साक्ष्य की विस्तृत विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

26. पी.डब्ल्यू.7 धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके दोस्त का नाम मनीष शर्मा है। मनीष शर्मा की आई.डी. खो गई थी। इसलिये उसने अपनी आई.डी. से सिम उसको दी थी, जिसका नम्बर 6572754707 है। यह सिम उसने उसको कानोता से दिलायी थी।

27. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उक्त नम्बर की सिम मनीष ने या किसी और ने इस्तेमाल की या नहीं, उसे नहीं पता। अभियुक्त विजय उर्फ टेकू की हद तक लेखबद्ध बयानों में भी इस गवाह ने पूर्व के लेखबद्ध बयानों और जिरह के कथनों को ही दोहराया है।

28. पी.डब्ल्यू.8 नरसीराम ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि दो साल पूर्व उसके मामी ससुर रामूलाल की मृत्यु हो गई थी उसके बाहरवें में दूदावाला आया था। उसके साले मनोज ने उसकी गाडी की चाबी मांगी की कुछ सामान लेना है जिस पर उसने अपने साले को अपनी गाडी संख्या आर जे 14 सी एक्स 4057 दे दी। उसकी गाडी उसे सात दिन बाद उसे मिली। उसकी गाडी से कोई घटना हुई या नहीं उसे पता नहीं। अभियुक्त विजय उर्फ टेकू की हद तक लेखबद्ध किए गए बयानों में इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह उसकी जानकारी में नहीं है कि उसकी गाडी को किस काम के उपयोग में लिया था।

29. पी.डब्ल्यू.9 मंगलराम नक्शा मौका प्रदर्श पी-4 का औपचारिक गवाह है, जो पुलिस द्वारा बनाये गये नक्शे मौके पर अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है।

30. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके सामने झगडा नहीं हुआ था। उम्मेद व बाबूलाल उसके रिश्तेदार हैं जो उसे बुलाकर लाये थे, जिनके कहने से उसने प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर किए थे।



31. पी.डब्ल्यू.10 डॉ० जयप्रकाश चिकित्सकीय साक्षी है जिन्होंने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 19.08.2019 को एम.ओ. के पद पर जिला चिकित्सालय, दौसा में कार्यरत था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूबा श्रीमती सुशीला देवी पत्नी उम्मेदसिंह आयु 30 साल दौसा निवासी झालरा का बास दौसा के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर चोट नम्बर-1 लाल नीला नीलगू निशान 15 X 03 से०मी० बाईं जंघा के बीच के भाग में चोट नम्बर-2 बिना कोई बाहरी चोट के निशान के दर्द की शिकायत बाएं कुल्हे पर। चोट नं० एक साधारण प्रकृति की एवं कुंद हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि 12 घंटे से 36 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं एवं एक्स स्थान पर मजरूबा की अंगूठा निशानी है।

32. गवाह ने उक्त दिनांक को मजरूब उम्मेदसिंह पुत्र जगदीश आयु 35 साल दौसा निवासी झालरा का बास दौसा के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर चोट नम्बर-1 बिना कोई बाहरी चोट के निशान के दर्द की शिकायत दांये कंधे पर। चोट संख्या-2 बिना कोई बाहरी चोट के निशान के दर्द की शिकायत बाएं पैर की दूसरी उंगली पर। चोटों की अवधि बतायी नहीं जा सकती क्योंकि बाहरी चोट के निशान नहीं हैं। इसी वजह से चोटों की प्रकृति व हथियार के बारे में नहीं बताया जा सकता। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी05 है जिस पर ए से बी मजरूब के व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। पहचान चिन्ह कॉलम संख्या छह में अंकित है।

33. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श-1 की चोट संख्या-1 साधारण प्रकृति की थी व चोट संख्या-2 व प्रदर्श पी-5 की दोनों चोटों में बाह्य चोट के निशान नहीं थे। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उक्त सभी चोटें गिरने-पडने से आ सकती हैं।

34. अभियुक्त विजय उर्फ टेकू के विरुद्ध तितम्बा चार्जशीट पेश होने पर उसकी हद तक लेखबद्ध गवाह ने अपने पूर्ववर्ती बयानों की मुख्य परीक्षा व जिरह के कथनों को ही दोहराया है।

35. साक्षी पी.डब्ल्यू.18 डॉ. शिवचरण जिसके द्वारा आहत जगदीश के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना किया है ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि दिनांक 26-08-2019 को वह जिला चिकित्सालय दौसा में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर पदस्थापित था। उस दिन उसके द्वारा पुलिस थाना सदर दौसा की तहरीर पर मारपीट में घायल श्री जगदीश पुत्र श्री कल्याण सहाय गुर्जर उम्र 60 साल निवासी झालरा का बास दौसा का चोटों का परीक्षण किया था। चोट नं 01 बायें कंधे से नीचे हाथ तक प्लास्टर बंधा था जिसके लिये उसने एक्सरे के लिये व किये गए उपचार से संबंधित कागजात के अनुसार राय देने की सलाह दी थी। चोट नं 02 बायें कंधे पर चार सेमी X दो सेमी की खुरण्ड समेत खरोंचनुमा चोट थी जो कि सामान्य प्रकृति व कुन्द हथियार से कारित थी। चोट नं 03 में मरीज द्वारा बायें घुटने में दर्द बताया गया जिसके लिये उसने एक्सरे एडवाइज किया था। चोट नं 04 में घायल द्वारा पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत थी, उपर से बाहरी रूप से कोई चोट नहीं थी। जिसके लिये उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट नं 05 में बायीं जांघ के निचले हिस्से पर घुटने से उपर एक X 1.2



सेमी का खरोंच नुमा चोट थी जो कि सामान्य प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। उक्त चोटों की अवधि सात से आठ दिन की थी। एक्सरे व उपचार पत्र जो कि श्यामा देवी मेमोरियाल अस्पताल दौसा को देखने पर बायें बाजू में अस्थिभंग व बायीं कोहनी पर अस्थिभंग और बायें हाथ की तीसरी, चौथी, पाँचवीं मेटाकार्पल हड्डी में अस्थिभंग पाया गया जो कि गंभीर प्रकृति का था। चोट नं 04 सामान्य प्रकृति की थी। मजरूब जगदीश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 35 है। मजरूब जगदीश की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 36 है जिस पर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर हैं।

36. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि उसने मजरूब जगदीश का कोई ईलाज नहीं किया। चोट नम्बर 3 व 4 दर्द की शिकायत है जिसके लिए व्यक्ति झूठ बोल सकता है। चोट नम्बर 2 व 5 साधारण प्रकृति की थी जो स्वःकारित भी हो सकती है और गिरने पडने से भी आ सकती है। चोट नम्बर एक सख्त धरातल पर उँचाई से गिरने पर या पत्थर पर कन्धे के बल गिरने से आ सकती है।

37. पी.डब्ल्यू. 11 अमित कुमार दिनांक 18.08.2019 को सांयकाल आठ बजे अपने दोस्त गोविन्द सहाय शर्मा का उसके ससुराल अपने बच्चों को लेने आने और सोमनाथ चौराहे पर उसके साथ चाय पानी पीकर चले जाने के कथन करता है, जो औपचारिक साक्षी प्रतीत होता है।

38. पी.डब्ल्यू.12 रामावतार ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसका दौसा में कोई दोस्त नहीं है। उसके सामने कोई घटना नहीं हुई। इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कराया गया है।

39. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को गलत होना बताया है कि विजय उर्फ टेकू उसका मित्र हो एवं उसको बचाने के लिए झूठा बयान दे रहा हो।

40. पी.डब्ल्यू.13 अरविन्द कुमार ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 19.08.2019 को थाना सदर दौसा में कानि नं 308 के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं 292/2019 में आई.ओ श्री रवीन्द्र कुमार एस.एच.ओ. ने घटनास्थल से उसके समक्ष खून आलूदा सीमेंट कंकरीट सादा कंकरीट व खून आलूदा कपडे एवं चप्पल नीले रंग की एडीडास की प्रथक प्रथक चार पैकेटो में मौके पर सील्ड मोहर कर मार्का ए लगायत ड अंकित किये थे जिसकी फर्द जब्ती उसके सामने बनाई थी जो प्रदर्श पी 06 इसके बाद दिनांक 01.10.2019 को इसी मुकदमे में मुल्जिम मनीष शर्मा को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफ्तारी उसके सामने बनाई थी जो प्रदर्श पी 09 है। दिनांक 03.10.2019 को मुल्जिम मनीष की निशादेही से मारपीट करने की योजना बनाने का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 तथा मारपीट करने निशादेही मौका घटनास्थल उसके समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 11 है दिनांक 03.10.2019 को ही मुल्जिम मनीष की इत्तला से एक कार आरजे 14 सीएक्स 4057 गाँव दयारामपुरा से जरिए फर्द बरामद की थी। फर्द बरामदगी कार प्रदर्श पी 12 है। बरामदगी कार का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर मुल्जिम मनीष का मोबाइल दिनांक 04.10.2019 को मुल्जिम की इत्तलानुसार बनाया था जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर हस्ताक्षर है। बरामदगी मोबाइल का नक्शा मौका बनया था जो प्रदर्श पी



15 है दिनांक 11.10.2019 को मुल्जिम रमेश, रामबाबू एवं कृष्ण उर्फ काला को जरिए प्रोडक्शन वारंट बापर्दा गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 16 लगायत 18 है।

41. पी.डब्ल्यू-13 अरविन्द कुमार ने आगे अपने बयानों में यह भी कथन किया दिनांक 18. 10.2019 को मुलिजम रमेश, रामबाबू, कृष्ण उर्फ काला की इत्तला से तीन लाठियों मुलिजम रमेश के रिहायशी मकान से बरामद की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 19 है। बरामदगी स्थल लाठियों का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 20 है। इसी दिन मुल्जिम कृष्ण की इत्तला से एक मोबाइल फोन रियलमी कम्पनी का बरामद किया था जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल मोबाइल प्रदर्श पी 22 है। उसी दिन मुलिजम रामबाबू का मोबाइल एम.आई. कम्पनी का बरामद किया था जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 23 है। नक्शा मौका बरामदगी मोबाइल प्रदर्श पी 24 है। दिनांक 19.10.2019 को मुल्जिम रमेश रामबाबू व कृष्ण उर्फ काला की निशादेही से मारपीट करने की योजना बनाने का नक्शा मौका प्रदर्श पी 25 तथा मारपीट करने निशादेही मौका घटनास्थल उसके समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 26 है पूर्व से गिरफ्तारशुदा मुल्जिम विजय उर्फ टेकू की निशादेही से मारपीट करने की योजना बनाने का नक्शा मौका प्रदर्श पी 27 तथा मारपीट करने निशादेही मौका घटनास्थल उसकेसमक्ष बनाया जो प्रदर्श पी-28 है।

42. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना कथन किया है कि इस प्रकरण में गिरफ्तार पाँचों आरोपी में से किसी के भी पैर में वह चप्पल आती हो एवं उनके नाम की हो इस सम्बन्ध में भी पत्रावली में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि दूसरी जेल से दौसा न्यायालय तक लाने तक मुलजिमान रमेश शर्मा, रामबाबू शर्मा व कृष्णा काला को बिना बापर्दा के लाया गया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया कि तीनों ही डंडों को सील्ड मोहर नहीं किया और ना ही आज न्यायालय में मौजूद हैं। साक्षी ने यह भी कथन किए हैं कि इस प्रकरण में जितने भी नक्शे हैं वो अनुसन्धान अधिकारी द्वारा बनाए हैं वो सभी खुले स्थान हैं किसी के आने-जाने की पाबन्दी नहीं थी और ना ही पुलिस का पहरा था। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि ऐसी लाठिया अक्सर हर घर में बाजार में मिल जाती हैं। मुलजिम विजय उर्फ टेकू को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया और इसकी इत्तला से बनाए गए नक्शे प्रदर्श पी-27 व प्रदर्श पी-28 पर पुलिस पहले जा चुकी थी, जहां से पहले कुछ नहीं मिला

43. पी.डब्ल्यू.14 सोनल मीणा जिसके द्वारा प्रकरण में शिनाख्तगी की कार्यवाही की है ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 16.10.2019 को तहसीलदार दौसा के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के आदेश की पालना में मुलिजमान रमेश, रामबाबू, कृष्ण मीणा की शिनाख्तगी कार्यवाही जिला कारागार दौसा में करवाई गई। शिनाख्त कार्यवाही का पत्र प्रदर्श पी-29 है। शिनाख्त कार्यवाही कृष्ण मीणा प्रदर्श पी 30 है, मुल्जिम रमेश की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 31 व रामबाबू की शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी 32 है जिन पर ए से बी उसके, सी से डी मुल्जिम के व ई से एफ परिवादी के हस्ताक्षर है। परिवादी का जारी



किया गया सम्मन प्रदर्श पी 33 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी परिवादी के हस्ताक्षर हैं। बाद कार्यवाही शिनाख्तगी की नकल न्यायालय को प्रेषित की थी जिसका पत्र प्रदर्श पी 34 है।

44. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि दिनांक 16-10-2019 की पहचान परेड से पूर्व कोई उमी पहचान परेड नहीं करवाई तथा जो बन्दियों की सूची पत्रावली में लग रही है उसमें बंदी की कद काठियों का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि तीनों बन्दियों की अलग-अलग शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं कराई गई।

45. पी.डब्ल्यू.15 साहब सिंह ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 04.10.2019 को पुलिस थाना सदर दौसा में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नं 292/2019 में मुल्जिम मनीष शर्मा ने एक रैडमी मोबाइल उसके रिहायशी मकान दयारामपुरा से बरामद करवाया था। उसके व मुल्जिम के साथ में रवीन्द्र एसआई, कानि. अरविंद बरामदगी स्थल पर गए थे। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं व जिस जगह से मुल्जिम ने मोबाइल बरामद करवाया, वहाँ का नक्शा उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 15 है।

46. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि थाना सदर से दयारामपुरा की खानगी व वापसी की आमद पत्रावली पर नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि उसने मनीष के मकान की तस्दीक वार्डपंच, सरपंच से नहीं ली, ना ही स्वामित्व का कोई कागज देखा। प्रदर्श पी-14 पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि मकान खुला हुआ था और उसमें आने- जाने पर किसी की पाबन्दी नहीं थी। उसने जप्ती के समय उस मोबाइल का कोई बिल नहीं देखा और बाद में भी नहीं देखा।

47. पी.डब्ल्यू.16 बाबूलाल ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि दिनांक 03-10-2019 को पुलिस थाना सदर दौसा पर हैड कानि. के पद पदस्थापित था। उस दिन गिरफ्तारशुदा मुल्जिम मनीष द्वारा जिस जगह मारपीट करने योजना बनाई थी उस जगह का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 उसके द्वारा बनाया गया था। जिस जगह पर मुल्जिमान ने मारपीट की थी उस जगह का नक्शा मौका प्रदर्श पी 11 उसके द्वारा बनाया गया था। मुल्जिम मनीष की निशादेही से गाडी स्विफ्ट डिजायर नं आरजे 14 सीएक्स 4057 बरामद कराई थी जिसक फर्द बरामदगी उसके द्वारा बनाई गई थी जो प्रदर्श पी 12 है बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 है।

48. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-10 व प्रदर्श पी-11 खुले हुए स्थान हैं, इन स्थानों पर दिनांक 3-10-2019 से पूर्व पुलिस मौके पर जा चुकी हो तो वह नहीं कह सकता। साक्षी ने इस सुझाव को सही होना बताया है कि उसके सामने दोनों घटना स्थल से ना तो कोई चीज मिली और ना ही जब्त की गई। प्रदर्श पी-12 बनाने से दो दिन पूर्व मुल्जिम मनीष पुलिस अभिरक्षा में था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-12 बनाते समय कार में घटना से सम्बन्धित कोई अलामात नहीं थे।



49. पी.डब्ल्यू.17 सोनू बडसरा अभियुक्त मनीष की फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी-9 का औपचारिक साक्षी है।

50. पी.डब्ल्यू.19 देवेन्द्र सिंह दिनांक 20-12-2019 को वह पुलिस थाना सदर दौसा में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं 292/19 में तीन सील्डशुदा पैकेट को मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एफ.एस.एल. में जमा करवाए थे जिनकी प्राप्ति रसीद वापस लाकर मालखाना इंचार्ज को वापस दी थी। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी 37 है।

51. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि दिनांक 20-12-2019 से पहले मालखाना कब किस हालत में , किसके पास रहा यह उसकी जानकारी में नहीं है।

52. पी.डब्ल्यू.20 रविन्द्र कुमार जिसके द्वारा प्रकरण में अनुसन्धान किया गया है ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि दिनांक 19-08-2019 को पुलिस थाना सदर दौसा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन परिवादी उम्मेदसिंह ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 पेश की कार्यवाही पुलिस में मुकदमा नम्बर 212 अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 458 आई.पी.सी. में दर्ज की। एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 03 है। दौराने अनुसंधान गवाहान उम्मेदसिंह, जगदीश, श्रीमती सुशीला, श्री धीरेन्द्रप्रताप सिंह, कुमारी शिवानी, रामवतार के बयान अंतर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। मजरूबान उम्मेद, सुशीला, जगदीश के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल करवाकर चोट प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी 05, प्रदर्श पी 01, प्रदर्श पी 35 है। जगदीश की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 36 है जिसे प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाकर शामिल पत्रावली किया, पुश्त पर हालात मौका अंकित है। घटनास्थल से घर के अंदर से खून आलूदा सीमेंट की पपड़ी, सादा सीमेंट कंकरीट, चप्पल व खून आलूदा कपडे जब्त किये गए व फर्द जब्ती बनाई जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी, ई से एफ गवाह, सी से डी परिवादी, जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं, आई से जे जब्तशुदा आर्टिकल का हुलिया अंकित है।

53. पी.डब्ल्यू-20 रविन्द्र कुमार ने आगे अपने बयानों में कथन किया है कि दौराने अनुसंधान मुल्जिम मनीष शर्मा, रमेश शर्मा, रामबाबू शर्मा, कृष्ण उर्फ काला को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी बनाई जो क्रमशः प्रदर्श पी 09, पी 18, 19, 20 है जिन पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ मुल्जिमान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफ्तार मुल्जिम मनीष द्वारा दी गई इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार फर्द बनाई गई जो प्रदर्श पी 38 लगायत पी 41 है जिन पर ए से बी मुल्जिम मनीष व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इत्तला के अनुसार मुल्जिम मनीष शर्मा की निशादेही से मारपीट की योजना बाबत, जिस जगह मारपीट की वह स्थान का नक्शा मौका प्रदर्श पी 10 व पी 11 है व पुश्त पर हालात मौका अंकित है। मारपीट के दौरान काम में लिया गया वाहन कार व मोबाइल की जब्ती क्रमशः प्रदर्श पी 12 व पी 14 है। वाहन की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 13 व मोबाइल की बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 15 है मुल्जिम रमेश के द्वारा दी गई इत्तला अंतर्गत धारा 27



साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 42 व पी 43 है मुताबिक इत्तला फर्द जब्ती तीन लाठी बनाई गई जो प्रदर्श पी 19 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ, जी से एच व आई से जे मुल्जिम रमेश, रामबाबू व कृष्ण के हस्ताक्षर है व के से एल उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल तीन लाठी प्रदर्श पी 20 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ, जी से एच व आई से जे मुल्जिम रमेश, रामबाबू व कृष्ण के हस्ताक्षर है व के से एल उसके हस्ताक्षर है, हालात मौका पुश्त पर अंकित है जिस पर भी के से एल उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम रमेश की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के मुताबिक योजना स्थल व मारपीट करने वाली जगह का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 25 व पी 26 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहान के, ई से एफ, जी से एच व आई से जे मुल्जिम रमेश, रामबाबू व कृष्ण के हस्ताक्षर है व के से एल उसके हस्ताक्षर है हालात मौका पुश्त पर अंकित है। मुल्जिम कृष्ण के द्वारा दी गई इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 44 लगायत पी 46 है। मुताबिक इत्तला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम मुल्जिम कृष्ण ने मारपीट योजनास्थल, मारपीट स्थल व घटना में प्रयुक्त मोबाइल-सिम व लाठी डण्डा के बारे में बताया। मुताबिक इत्तला मुल्जिम रमेश के रिहायशी मकान से तीन लाठी जब्त की गई जो प्रदर्श पी 19 है। मुल्जिम कृष्ण की इत्तला पर बरामद मोबाइल सिम की फर्द जब्ती बनाई जो प्रदर्श पी 21 है।

54. जिरह में गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि मुल्जिम विजय उर्फ टेकू के अतिरिक्त किसी भी मुल्जिम की कद, काठी, हुलिया व बोली भाषा नहीं बताया। गवाह ने यह भी कथन किया है कि मुताबिक एफ.आई.आर. के केवल दो व्यक्ति को सामने आने पर पहचान करने के लिए कहा था। घटना के समय परिवादी सहित कुल चार लोग मौजूद थे, जिनमें से दो पुरुष व दो महिला थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना स्वीकार किया है कि परिवादी सहित चारों ही व्यक्तियों ने विजय उर्फ टेकू के अलावा किसी भी व्यक्ति का कद काठी व हुलिया नहीं बताया। मुल्जिम मनीष को किसी अन्य प्रकरण से इस प्रकरण में जरिये प्रोडक्शन वारंट से दिनांक 1-10-2019 को गिरफ्तार किया था जिसे बिना बापर्दा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि रामबाबू, रमेश, व कृष्ण उर्फ काला तीनों की ही पहचान परेड एक बार में ही करवाई थी जो दिनांक 12-10-2019 को करवायी थी। साक्षी ने इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि उसने किसी प्रकार की डमी पहचान के लिये किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन नहीं दी ना ही परेड करवाई। साक्षी ने जिरह में आगे यह भी कथन किया है कि उसकी तफ्तीश के मुताबिक मनीष से किसी प्रकार का हथियार बरामद नहीं हुआ। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना स्थल खुला चद्वरें थी या छत थी इस बाबत प्रदर्श पी-4 में अंकन नहीं है। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना स्वीकार किया है कि घटना के दो महीने बाद तीनों मुल्जिमान की पहचान परेड करवाई। साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि परिवादी उम्मेद के कोई जाहिरा चोट नहीं थी।

55. पी.डब्ल्यू-21 रामकरण ने मालखाने से सम्बन्धित औपचारिक गवाह है इस गवाह ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 03-10-2019 को थाना सदर में मालखाना प्रभारी के रूप में पदास्थित था। उस दिन मुकदमा नं० 292/2019 का जब्तशुदा माल उसे मालखाने में जमा करने हेतु दिया था। जिसे उसने



मुताबिक फर्द के मालखाना रजिस्टर के मद नं० 461 पर जमा किया था। मालखाना रजिस्टर की द्वितीय प्रति प्रदर्श पी० 54 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मूल मालखाना रजिस्टर में प्रदर्श पी० 54 है।

56. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि मोबाइल आर्टिकल नं.2,3 व 4 जिस दिन मालखाना में जमा हुए थे वह अनसील्ड हालत में जमा हुए थे एवं डंडे आर्टिकल 5,6,7 भी अनसील्ड हालत में जमा किया था। माल को क्यों सील्ड नहीं किया इस बारे में वह नहीं बता सकता।

57. पी.डब्ल्यू-22 विजय कुमार फर्द गिरफ्तारी से सम्बन्धित गवाह है ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 11-10-2019 को पुलिस थाना सदर दौसा में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सदर थाना के मुकदमा नम्बर 292/2019 श्रीमान सी.जे.एम साहब से प्राप्त प्रोडक्शन वारंट पर मुल्जिम रमेश, रामबाबू व कृष्ण उर्फ काला को बापर्दा जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। मुल्जिम रमेश की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 16, मुल्जिम रामबाबू की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 17 व मुल्जिम कृष्ण उर्फ काला की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 18 है, जिन पर क्रमशः सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

58. जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि मुलजिमान पूर्व के मुकदमे में कब से बन्द थे, इस सम्बन्ध में फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-16,17,18 में अंकन नहीं किया हुआ है। साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि पूर्व के मुकदमे से इस मुकदमे में लेने तक मुलजिम बिना बापर्दा रहे और बिना बापर्दा ही इस न्यायालय में आए थे। यदि मुस्तगीस पक्ष पहले से न्यायालय में मौजूद हो तो उसकी जानकारी में नहीं है।

59. पी.डब्ल्यू-23 विजय कुमार ने कथन किया है कि दिनांक 19-11-2019 को मैं भारती हैक्सा कोम लिमिटेड में नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 292/2019 थाना सदर दौसा के प्रकरण में मोबाइल नम्बर 9571754707 तथा 9784292012 की दिनांक 15-08-2019 से 20-08-2019 तक की कॉल डिटेल्स जारी करने का एस पी. साहब दौसा का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 06-11-2019 की पालना में उसके साथी सुनील तिवाडी द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया था जो प्रदर्श पी 55 है जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है। कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्श पी 56 है जिस पर भी ए से बी सुनील तिवाडी के हस्ताक्षर है। आधार कार्ड धीरेन्द्र सिंह चौहान का प्रदर्श पी 57 व 58 है, जिन पर ए से बी सुनील तिवाडी के हस्ताक्षर है। कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म रामबाबू शर्मा प्रदर्श पी 59 है जिस पर ए से बी सुनील तिवाडी के हस्ताक्षर हैं। आधार कार्ड रामबाबू शर्मा प्रदर्श पी 60 है जिस पर ए से बी उनके हस्ताक्षर है। सीडीआर मोबाइल नम्बर 9784292012 की एक पृष्ठ में है जो प्रदर्श पी 61 है जिस पर ए से बी सुनील तिवाडी के हस्ताक्षर है। सीडीआर नम्बर 9571754707 की पाँच पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 62 लगायत पी 66 है जिन पर ए से बी सुनील तिवाडी के हस्ताक्षर है। उसने सुनील तिवाडी के साथ काम किया है इसलिये उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ।



60. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि उक्त दोनों मोबाइल से किस व्यक्ति के द्वारा क्या बातचीत की गई। बातचीत का कोई ब्यौरा पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही होना बताया है कि सिम धारक के अलावा उक्त दोनों मोबाइल को कोई और व्यक्ति उपयोग में ले रहा हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि मोबाइल की टावर लोकेशन क्या थी वह उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता।

61. पी.डब्ल्यू-24 विपिन खत्री ने अपने न्यायालय बयान में कथन किया है कि वह नवम्बर 2023 से रिलायन्स जियो इन्फो कॉम लिमिटेड में नोडल अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। उससे पूर्व रिलायन्स जियो में देवेन्द्र सिंह नोडल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे जो मार्च 2024 तक रिलायन्स जियो में कार्यरत थे। उनके द्वारा मुकदमा नम्बर 292/2019 थाना सदर दौसा के प्रकरण में मोबाइल नम्बर 8209907626, 8949068512 तथा 6377147784 की दिनांक 15-08-2019 से 20-08-2019 तक की कॉल डिटेल्स जारी करने का एस पी साहब दौसा का पत्र क्रमांक 224 दिनांक 06-11-2019 की पालना में उसके साथी देवेन्द्र सिंह द्वारा धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया था जो प्रदर्श पी 67 व पी 68 है जिन पर ए से बी उनके हस्ताक्षर हैं। कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म ऋतुराज सेन प्रदर्श पी 69, गोविंद सहाय शर्मा पी 70 व विजय मीणा पी 71 है जिन पर भी ए से बी देवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। सीडीआर मोबाइल नम्बर 6377147784 की चार पृष्ठों में है जो प्रदर्श पी 72 व पी 73 है जिन पर ए से बी देवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। सीडीआर नम्बर 8209907626 की दो पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 74 है जिस पर ए से बी देवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। सीडीआर नम्बर 8949068512 की तीन पृष्ठों में है, जो प्रदर्श पी 75 व पी 76 है जिस पर ए से बी देवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर हैं। उसने देवेन्द्र सिंह के साथ काम किया है इसलिये उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ।

62. जिरह में इस गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि प्रदर्श-67 लगायत 76 तक ना तो उसके द्वारा जारी किए गए हैं और ना ही उसके उस पर हस्ताक्षर हैं। गवाह ने आगे यह कथन किया है कि उक्त तीनों मोबाइल से किस व्यक्ति के द्वारा क्या बातचीत की गई, बातचीत का ब्यौरा पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाया है। साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि सिम धारक के अलावा उक्त तीनों मोबाइल को कोई और व्यक्ति उपयोग में ले रहा हो तो उसकी जानकारी में नहीं है।

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष:

63. इस प्रकार प्रकरण में आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण करें तो अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाह जिनमें पी.डब्ल्यू.3 उम्मेद जिसके द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा पी.डब्ल्यू.1 सुशीला, पी.डब्ल्यू.2 शिवानी मुलजिमान के मुँह पर कपडा बंधा होने का कथन किया है तथा किसी का चेहरा नहीं देखना बताया है। गवाह उम्मेद ने केवल एक मुलजिम टेकू को देखना बताया है, लेकिन इस गवाह ने अभियुक्त टेकू का घटना में क्या कृत्य रहा इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है। प्रकरण में आहत जगदीश जिसके अस्थिभंग कारित हुआ है, वह फौत होने के कारण साक्ष्य हेतु न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण में अभियुक्तगण की कार्यवाही



शिनाख्तगी भी संदिग्ध रही है। शिनाख्तगी से सम्बन्धित गवाह पी.डब्ल्यू.14 सोनल मीणा ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जो बन्दियों की सूची पत्रावली में लग रही है, उसमें बन्दी की कद काठियों का कोई उल्लेख नहीं है, बन्दियों के चेहरे पर दाढ़ी या बिना दाढ़ी का कोई उल्लेख नहीं है तथा बन्दियों के चेहरे पर कोई पहचान चिह्न हो जिसे टेप या कागज लगाकर छिपाया गया हो ऐसा उल्लेख नहीं है। जबकि उक्त फर्दात के मुख्य शिनाख्तकर्ता पी. डब्ल्यू.3 फरियादी उम्मेद ने अभियुक्तगण की उक्त शिनाख्तगी कार्यवाही करवाये जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के कोई कथन ही नहीं किये गये हैं, अपितु जिरह के दौरान इसने मौके पर अंधेरा होने व मुलजिमान को ठीक से नहीं देख पाने के ही कथन किये गये हैं, जिससे अभियुक्तगण की कार्यवाही शिनाख्तगी फर्द प्रदर्श पी-29 लगायत प्रदर्श पी-32 एवं कार्यालय तहसीलदार, दौसा द्वारा पेश शिनाख्तगी रिपोर्ट प्रदर्श पी-34 सन्देहास्पद हो जाती है।

64. प्रकरण के अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू.13 अरविन्द कुमार ने दौराने जिरह यह अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि दूसरी जेल से दौसा न्यायालय लाने तक मुलजिमान रमेश शर्मा, रामबाबू शर्मा व कृष्ण काला को बिना पर्दा के लाया गया था। साक्षी पी.डब्ल्यू.22 विजय कुमार ने भी जिरह में अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि पूर्व के मुकदमे से इस मुकदमे में लेने तक मुल्जिम बिना बापदर्दा रहे थे और बिना बापदर्दा के ही इस न्यायालय में आए थे, जिससे अभियुक्तगण को गिरफ्तारी से पहचान परेड तक बापदर्दा रखा गया हो, यह तथ्य भी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है।

65. प्रकरण में किस अभियुक्त द्वारा किस आहत के किस हथियार से चोटें कारित की यह भी अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहों की साक्ष्य से स्पष्ट प्रकट नहीं होता है। जहां तक आहत सुशीला देवी व उम्मेद सिंह के चोटों का सम्बन्ध है। चिकित्सकीय साक्षी पी.डब्ल्यू.10 डॉ. जयप्रकाश ने आहत सुशीला के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 व आहत उम्मेद सिंह के शरीर पर आयी चोटें गिरने पडने से आने के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन किये हैं। जहां तक आहत जगदीश के शरीर पर आयी चोटों का प्रश्न है साक्षी पी.डब्ल्यू.18 डॉ.शिवचरण ने कथन किया कि उसने चोट नम्बर 1 बांये कंधे से नीचे हाथ तक प्लॉस्टर बंधा हुआ था जिसके लिये उसने एकसरे के लिये व किये गये उपचार से सम्बन्धित कागजत के अनुसार सलाह दी थी। जिरह में इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने चोट नम्बर एक को खोलकर नहीं देखा। गवाह ने उक्त चोट के सम्बन्ध में कथन किया है कि चोट संख्या-1 सख्त धरातल पर उँचाई से गिरने पर या पत्थर पर कंधे के बल गिरने से आ सकती है। यह चोट किस अभियुक्त द्वारा कारित की गई इस सम्बन्ध में अभियोजन की कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है।

66. जहां तक प्रकरण में जब्तशुदा लाठियों का प्रश्न है गवाह पी.डब्ल्यू.13 अरविन्द कुमार ने स्पष्ट रूप से जिरह में कथन किया है कि ऐसी लाठियां अक्सर हर घर में व बाजार में मिल जाती हैं। प्रकरण में बरामदगी भी खुले स्थान से की गई हैं, जहां कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर सकता है। बरामदगी स्थल के सम्बन्ध में अनुसन्धान



अधिकारी पी.डब्ल्यू.20 रविन्द्र कुमार ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटनास्थल का मालखाना हक से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं देखा। इस प्रकार प्रकरण में बरामदगी भी संदिग्ध हो जाती है।

67. जहां तक प्रकरण में जब्त मोबाइल का सम्बन्ध है अभियोजन की ओर से दूरभाष कम्पनी के गवाह पी.डब्ल्यू.23 प्रभात कुमार व पी.डब्ल्यू.24 विपिन खत्री ने जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उक्त तीनों मोबाइल से किस व्यक्ति के द्वारा क्या बातचीत की गई, बातचीत का कोई ब्यौरा पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाया है तथा सिम धारक के अलावा उक्त तीनों मोबाइल को कोई और व्यक्ति उपयोग में ले रहा हो तो उनकी जानकारी में नहीं है तथा गवाहान ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को सही होना बताया है कि मोबाइल टावर लोकेशन क्या थी वह उसके बारे में नहीं बता सकते। इस प्रकार वक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जब्त मोबाइल को घटना को अंजाम देने में प्रयोग किया हो इस तथ्य को अभियोजन सन्देह से परे साबित नहीं कर पाया है।

68. सामूहिक आरोप (mass attribution) के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार-बार यह प्रतिपादित किया है कि यदि अभियोजन की संपूर्ण कहानी अस्पष्ट, सामूहिक और अनिर्दिष्ट आरोपों पर आधारित हो, तो वह विधिक परीक्षण में टिक नहीं सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मात्र उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, जब तक यह प्रमाणित न हो कि अभियुक्त ने साझा उद्देश्य (common object) के अंतर्गत कार्य किया या उसे उस उद्देश्य की जानकारी थी। अतः यह अत्यावश्यक है कि प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दोषी को ही दंड मिले और कोई निर्दोष व्यक्ति अभियोजन की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया का शिकार न बने।

69. निष्कर्षतः, जब अभियोजन पक्ष न तो अभियुक्तों की विशिष्ट भूमिका का पृथक्करण कर सका है, न यह स्पष्ट कर पाया है कि किस अभियुक्त ने किस हथियार से किस आहत को किस प्रकार चोट पहुँचाई, और न ही विधिसम्मत शिनाख्त की प्रक्रिया के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान करवा सका है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन का संपूर्ण तंत्र संदेह की परिधि में आ जाता है। यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपने आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है, न कि केवल संदेह उत्पन्न करना। जब प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों की पुष्टि करने में असमर्थ रहते हैं और संदेह उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे सन्देह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना विधिसंगत एवं न्यायोचित होता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय **Vimla Devi VS State of Rajasthan: 2017 2 Crimes(HC) 633** में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देकर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अपराधिक न्यायशास्त्र का एक मुख्य सिद्धान्त है कि अभियुक्त का अपराध सभी संदेहों से परे साबित होना चाहिए। अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पक्ष की होती है, और यह दायित्व कभी बदलता नहीं। अपराधिक न्याय प्रणाली का एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दो



संभावनाएं उभरती हैं—एक जो अभियुक्त को दोषी ठहराती है और दूसरी जो उसे निर्दोष साबित करती है—तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पक्ष में जो संभावना है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय के शब्दों में:—

"18. In catena of judgments predominantly in Kali Ram Vs. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808; State of Rajasthan Vs. Raja Ram, (2003) 8 SCC 180; Chandrappa & Ors. vs. State of Karnataka, (2007) 4 SCC 415; Upendra Pradhan Vs. State of Orissa, (2015) 11 SCC 124 and in Golbar Hussain & Ors. Vs. State of Assam & Anr., (2015) 11 SCC 242, Hon'ble Supreme Court has observed that:—

"it is a cardinal principle of criminal jurisprudence that the guilt of the accused must be proved beyond all reasonable doubt. The burden of proving its case beyond all reasonable doubt lies on the prosecution and it never shifts. Another golden thread which runs through the web of the administration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted"

70. साथ ही इस न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि उक्त साक्ष्य की बारीकी से जांच करे, विशेषकर साक्ष्य में लगाए गए दोषों और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही, तब न्यायालय का यह भी कर्तव्य है कि वह यह मूल्यांकन भी करे कि क्या ये दोष अभियोजन पक्ष के समग्र दृष्टिकोण के विपरीत हैं।

71. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त समग्र मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर तथा उक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है और अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना ही न्याय के हित में है।

आदेश

72. अतः अभियुक्तगण (1) मनीष पुत्र ओमप्रकाश उम्र 27 साल निवासी हल्दीनियों की ढाणी (लक्ष्मीपुरा) दयारामपुरा पुलिस थाना कानोता जिला दौसा, (2) रमेश पुत्र रामनाथ उम्र 25 साल निवासी दयारामपुरा थाना कानोता जिला दौसा व (3) कृष्ण उर्फ काला पुत्र बाबूलाल उम्र 18 साल निवासी दयारामपुरा थाना कानोता जिला दौसा व (4) विजय उर्फ टेकू पुत्र गोपाल निवासी कालूराम की गली व्यास मोहल्ला, दौसा थाना कोतवाली दौसा (हाल मोदियान मोहल्ला दौसा) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 325/149 व 459 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों से सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।



73. उक्त अभियुक्तगण, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437-A के प्रावधानों के अनुसार, ₹50,000/- (पचास हजार रुपए) की जमानत राशि तथा समान राशि के मुचलके पर यह शर्त स्वीकार करते हुए प्रस्तुत करें कि यदि राज्य सरकार इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करती है तो अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होंगे।

74. हस्तगत प्रकरण में **अभियुक्त रामबाबू पुत्र हरिनारायण मफरूर हैं।** इस बाबत पत्रावली पर लालस्याही से नोट अंकित किया जावे तथा पत्रावली सुरक्षित रखी जावे।

(रविकान्त सोनी आर.जे.एस.)

UID No. RJ00755
अपर सेशन न्यायाधीश,
दौसा।

75. निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को उसके द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रविकान्त सोनी आर.जे.एस.)

UID No. RJ00755
अपर सेशन न्यायाधीश,
दौसा।